प्रकरण संख्या 9/2025 बउनवान तेजाराम बनाम तहसीलदार रोहट

13.05.25 पत्रावली पेश हुई।

अधि. प्रार्थी ने बहस हेतु समय चाहा जो न्यायहित में दिया जाकर पत्रावली दि. 27.05.25 को पेश हो।

जिला कलेक्टर, पाली

27/05/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उप.।

प्रकरण में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा आज माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के S.B. Civil Writ petition no. 5346/2025 के आदेश दिनांक 13/05/25 की अप्रमाणित प्रति पेश की। माननीय न्यायालय द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 13/05/25 में उक्त प्रकरण के संदर्भ में अपने निर्णय के अनुच्छेद संख्या / पद संख्या 7 व 8 में जिला कलक्टर एवं तहसीलदार को निर्देश देते हुए उक्त प्रकरण का निष्पादन कर दिया है। माननीय न्यायालय के उक्त निर्देश के बाद न्यायालयों के अनुवर्ती क्षेत्राधिकार (Subsequent Jurisdiction) के आधार पर जेर प्रकरण को अब न्यायालय हाजा में चलाये जाने की कोई उपादेयता नहीं है। साथ ही न्यायालय शाखा द्वारा उक्त निर्णय की प्रति राजस्व शाखा को भेजकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13/05/25 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में क्रमवार विहित अवधि में कार्यवाही करने हेतु लिखा जावे। इसी के साथ जेर प्रकरण का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 13/05/25 के क्रम में किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो।

जिला कलेक्टर, पाली